

कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।
(अनाधिकृत निर्माण/विकास कार्य को सील करने हेतु आदेश)

पत्रांक : 3561 / वाद सं० आर-0933/एस-12/2024

दिनांक: 19/12/2024

मौ० यनुस,
मेहुवाला प्राइमरी स्कूल रोड,
देहरादून।

विपक्षी मौ० यनुस, मेहुवाला प्राइमरी स्कूल रोड, देहरादून, द्वारा उपरोक्त पते/स्थल पर स्वीकृत मानचित्र संख्या आर-4124/23-24 में विचलन करते हुए निर्माण कार्य किया जा रहा है। निर्माण कार्य किये जाने के कारण प्राधिकरण द्वारा, उत्तराखण्ड प्रदेश (उ० प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973) संशोधन अधिनियम 2009 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत नोटिस जारी कर वाद संख्या आर-0933/एस-12/2024 योजित किया गया है।

उपरोक्त वाद में दिनांक 03.08.2024 को धारा 27 (1) एवं 28 (1) के अधीन आदेश उत्तराखण्ड (उत्तरप्रदेशनगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973) संशोधन अधिनियम, 2009 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत विपक्षी को कारण बताओ नोटिस प्रेषित किया गया। जिसे विपक्षी के पते स्थल पर दिनांक 06.08.2024 को चरपा/तामिल करवाया गया।

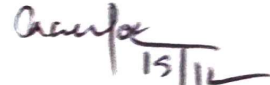
उक्त नोटिस के द्वारा विपक्षी को अवगत कराया गया कि, मेहुवाला प्राइमरी स्कूल रोड देहरादून, में प्राधिकरण की अनुमति के बिना निर्माण कार्य किया जा रहा है। स्थल पर निर्माण कार्य किये जाने तथा विपक्षी को पक्ष प्रस्तुत करने के लिए दिनांक 17.08.2024 की तिथि नियत की गयी थी। विपक्षी द्वारा नियत तिथि पर उपस्थित होकर स्वीकृति से भिन्न निर्माण को शमन कराने हेतु समय मांगा गया विपक्षी द्वारा सुनवाई की नियत तिथि पर अवगत कराया कि ऑन लाईन मानचित्र संख्या ओआर-0332/24-25 शमन करा लिया गया है। क्षेत्रीय अभियन्ता की आख्यानानुसार दिनांक 19.12.2024 को विपक्षी द्वारा शमन मानचित्र में प्रदर्शित ध्वस्तिकरण वाले भाग को ध्वस्त करने हेतु शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया था जिसका विपक्षी द्वारा अनुपालन नहीं किया गया है एवं निर्माण के सम्बन्ध में बार-बार शिकायतें प्राप्त हो रही हैं निर्माण को सील करने की संस्तुति की गयी है।

अतः उक्त परिस्थितियों में पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन उपरान्त मानचित्र में प्रदर्शित अशमनीय निर्माण (चालान शुदा निर्माण) के विरुद्ध सीलिंग आदेश पारित करने के अलावा कोई विकल्प शेष नहीं रह जाता है।

-आदेश:-

विपक्षी मौ० यनुस, मेहुवाला प्राइमरी स्कूल रोड, देहरादून, द्वारा उपरोक्त पते/स्थल पर स्वीकृत मानचित्र संख्या आर-4124/23-24 में विचलन करते हुए निर्माण कार्य किया जा रहा है। निर्माण कार्य किये जाने के कारण प्राधिकरण द्वारा, उत्तराखण्ड प्रदेश (उ० प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973) संशोधन अधिनियम 2009 के अन्तर्गत चालान शुदा निर्माण को सील करने के आदेश पारित किये जाते हैं। उक्त अवैध निर्माण को प्राधिकरण द्वारा दिनांक 22/12/24 को सील किया जाना है।

अतः विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि सील की तिथि से पूर्व उक्त परिसर को खाली कर दे तथा स्थल पर स्वयं उपस्थित रहकर सील की कार्यवाही निष्पादित करायें। विपक्षी को ये भी निर्देश दिया जाता है कि स्थल पर लगाई गयी सील को न तो क्षतिग्रस्त करे, और न हटाने दें। क्योंकि उक्त कृत्य शासकीय कार्य में बाधा डालना एवं सरकारी सम्पत्ति को क्षति पहुंचाने के समान है, जो कानूनन दण्डनीय अपराध है।



पी०अधि०/अधि०अभियन्ता,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।